(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 68 / 2023

पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

निर्णय दिनांकः– 22.04.2024

1. श्योजीराम पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ग्राम नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर
2. शिवनारायण पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ग्राम नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर
3. सीताराम पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ग्राम नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर
4. हरिनारायण पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी ग्राम नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
2. उगमाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
3. गंगाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
4. जीतराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
5. धन्नाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
6. बन्नाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
7. रामचरण पुत्र जवाहर लाल जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
8. रामदेव पुत्र भूरा जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज.
9. रामावतार पुत्र जवाहरलाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
10. रिद्धिकरण पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
11. शैतान पुत्र जवाहरलाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर

लगातार.........................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

12. श्रवणी पुत्र सूरजकरण जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
13. श्री बक्श पुत्र सूरजकरण जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
14. हनुमान सूरजकरण जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
15. हरिराम पुत्र सूरजकरण जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील फागी जयपुर
16. चिरंजीलाल पुत्र छीतरमल जाति बैरवा निवासी चौरू उत्तर तहसील फागी जयपुर
17. शंकरलाल पुत्र छीतरमल जाति बैरवा निवासी चौरू उत्तर तहसील फागी जयपुर
18. गीता पत्नी सोहनलाल जाति बैरवा निवासी चौरू उत्तर तहसील फागी जयपुर
19. जितेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बैरवा निवासी चौरू उत्तर तहसील फागी जयपुर
20. प्रियंका पुत्री सोहनलाल जरिये नाबालिग संरक्षक माता गीता पत्नी सोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर
21. फोरन्ता पुत्री सोहनलाल जरिये नाबालिग संरक्षक माता गीता पत्नी सोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील फागी जिला जयपुर
22. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री शिवराज चौधरी वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी आदेश फरमाये जाने बाबत्।

निर्णय दिनांकः–22.04.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 364 के आराजी खसरा नम्बर 2510/65 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम चौरू उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में मेरकोर की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एल.आर./23/2411 दिनांक 16.06.2023 की पालना में दिनांक 26.06.2023 को पटवारी हल्का चौरू उत्तर से सीमाज्ञान करवाया गया। पटवार हल्का द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें अनुसार उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश की पालना में हुये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार...................3

सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुये सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा न मानकर अनदेखी कर मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थीगण द्वारा विधिवत सीमाज्ञान करवाये तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को कब्जे काश्त खातेदारी आराजी भूमि में मजाहमत करते है। क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 एवं आदेश क्रमांक / एल.आर. / 23 / 2411 दिनांक 16.06.2023 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई–झगड़ा व मेर–कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 एवं तहसीलदार फागी तहसील फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2023 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 बाद तामिल के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आये इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 22 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण धारा 111 एल.आर. एक्ट पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चौरू उत्तर में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2072–2075 वाके ग्राम चौरू उत्तर के खसरा नंबर 2510 / 65 रकबा 1.5174 हैक्टेयर का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पूर्व मे दिनांक 26.06.2023 राजस्व विभाग की टीम द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण

लगातार....................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय पक्षकारान (पडौसी) खातेदारान की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2510 / 65 रकबा 1.5174 हैक्टेयर वाके ग्राम चौरू उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारान की मौजूदगी में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी सीमा चिह्न को कायम करने बाबत की जावें। यदि पक्षकारान के मध्य कब्जा सम्बन्धी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुना गया।

22/4/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू